

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

सं०: /21(35)/भाग-2/विद्युत टेंडर/नि0को0पें0ह0/2020

दि० सितम्बर, 2020

अन्तिम तिथि 30.09.2020

निविदा फार्म

समय: 3:00 बजे अपरान्ह तक

धरोहर राशि ₹ 10,000.00

फार्म का मूल्य	₹ 200.00
जी0एस0टी0	₹ 56.00
योग	₹ 256.00

1. तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा संलग्न हैं।
2. विद्युत मरम्मत, जनरेटर व सर्वो की विद्युत वायरिंग एवं अन्य विद्युत उपकरणों इत्यादि का रख-रखाव के लिए निविदा की कार्यावधि एक वर्ष होगी।
3. नियम व शर्तें निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं।

हस्ताक्षर
जारीकर्ता अधिकारी
सील

हस्ताक्षर
टेण्डरदाता/निविदादाता

नाम

पता

सील सहित.....

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

तकनीकी निविदा (**Technical Bid**)

अन्तिम तिथि:- 30.09.2020

वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

निविदादाताओं के लिए नियम एवं शर्तों में क्रमांक 01 से 05 तथा 01 से 23 तक वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्रों का क्रमवार विवरण :-

1. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो प्रति।
2. आयकर विभाग में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (पैन कार्ड) की फोटो प्रति।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जमा आयकर रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति।
4. पी0डब्लू0डी0 अथवा किसी सरकारी निर्माण एजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा उत्तराखण्ड विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा श्रेणी "क" का विद्युत ठेकेदारी का लाईसेंस की फोटो प्रति।
5. सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में विद्युत मरम्मत/रख-रखाव का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति।
6. अन्य कार्य अनुभव से सम्बन्धित यदि कोई अभिलेख हों, की छाया प्रतियां।
7.

धरोहर धनराशि (**Earnest Money**)

/kjkj /kujkf'k ₹ 10,000/- ¼: i ; s nl gtkj ek=½ tks funs'kd] dk's'kkxkj] i'ku
, 0 gdnkj]h] mÙkj k[k.M] ngjknw ds inuke l s cu/kd gkxh%&
, QOMh0vkj0l 0@fMekUM MkqV l 0@-----
fnukd -----
fuxRk 'kk[kk dk uke-----

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदादाता

नाम

पता

(सील सहित)

घोषणा-पत्र

मैं/फर्म/कम्पनी निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के कार्यालय भवन, डाटा सेन्टर, साईबर ट्रेजरी एवं भवन परिसर की विद्युत मरम्मत व 125के0वी0ए0 के दो जनरेटर, सर्वो एवं अन्य विद्युत उपकरणों की विद्युत वायरिंग का रख-रखाव आदि का कार्य, वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध के आधार पर कार्य से सम्बन्धित निविदादाताओं के लिये नियम व शर्तें क्रमांक 01 से 05 व 01 से 23 तक जो निविदा फार्म के साथ संलग्न है। अनुरक्षण के कार्य के लिए फर्म वचनबद्ध है कि निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित विद्युत वायरिंग अनुरक्षण का कार्य करेगी। उक्त के अतिरिक्त फर्म द्वारा टेण्डर की शर्तों को भली-भांति पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैं/फर्म उक्त नियम एवं शर्तों से सहमत हूं। मैं/फर्म को भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/संस्थान/प्रतिष्ठान के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम एवं पता/फर्म की सील

.....

.....

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

वित्तीय निविदा (Fianancial Bid)

अन्तिम तिथि:—30.09.2020

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (धनराशि ₹ में)
1	2	3
1-	निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून के कार्यालय भवन, डाटा सेन्टर, साईबर ट्रेजरी एवं भवन परिसर की विद्युत मरम्मत व 125के०वी०ए० के दो जनरेटर, सर्वो एवं अन्य विद्युत उपकरणों की विद्युत वायरिंग इत्यादि का रख-रखाव आदि का कार्य।	₹
2-	जी०एस०टी०	₹
कुल योग (1+2)		₹

(शब्दों में ₹.....मात्र)

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदादाता

नाम

पता

(सील सहित)

dk; kly; Hkou , 0 i fj l j vkfn dh l pk: fo | r vki fr] mi dj . kka bR; kfn
ds j [k&j [kko ds fy; s fu; e , 0 "kr

(निविदा फार्म भरने से पूर्व शर्तों/नियमों का पूर्ण रूप से भली भाँति अध्ययन कर लिया जाय।)

vf/kekuh 'kr

01. फर्म/ठेकेदार का आयकर विभाग में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। पेन कार्ड की फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी होगी।
02. फर्म/ठेकेदार को वित्तीय वर्ष 2019–2020 में जमा आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. फर्म/ठेकेदार को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कम से कम 03 (तीन) वर्ष का विद्युत मरम्मत/रख-रखाव के कार्यों को कराये जाने का अनुभव होना आवश्यक होगा। साक्ष्य हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना होगा।
04. फर्म का पंजीकरण पी0डब्लू0डी0 अथवा किसी सरकारी निर्माण एजेन्सी में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्रेणी "क" का विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस होना चाहिए।
05. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो प्रति।

l keku; 'kr

01. निविदा दो लिफाफा प्रणाली के आधार पर स्वीकार की जायेंगी। जिसमें एक लिफाफे में तकनीकी निविदा (वांछित अभिलेख एवं धरोहर धनराशि) तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा होगी। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा को अलग-अलग लिफाफों में मुहरबन्द कर लिफाफों के ऊपर "तकनीकी निविदा" तथा "वित्तीय निविदा" लिखकर एक बड़े मुहरबन्द और सम्यक रूप से अंकित लिफाफे के अन्दर रख कर डालनी होगी। जो निविदादाता तकनीकी निविदा की सम्पूर्ण शर्तों को पूरा करेंगे उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
02. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
03. निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। जिसे आवश्यकता पड़ने पर तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
04. निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।

05. विद्युत आपूर्ति/मरम्मत/रख-रखाव का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में किया जायेगा। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अवकाश दिवस में भी कार्य करना होगा।
06. विद्युत आपूर्ति/मरम्मत/रख-रखाव में निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं:-
 - क- निदेशालय भवन, डाटा सेंटर एवं साईबर ट्रेजरी के समस्त कमरों, बरामदों व पूरे कार्यालय परिसर में समस्त विद्युत वायरिंग, फिटिंग एवं अन्य विद्युत उपकरणों का रख-रखाव।
 - ख- सप्ताह में एक दिन समस्त विद्युत वायरिंग चैक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
07. भवन परिसर में लगे पंखों में नियमित ग्रीसिंग (त्रैमासिक) का कार्य स्वयं करना होगा। जिसके लिये अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।
08. टेस्टर, टूल बाक्स, क्रेम्प मीटर तथा जांच सम्बन्धी अन्य उपकरणों आदि की आपूर्ति फर्म/ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
09. जले हुए अथवा खराब उपकरणों (ट्यूब, चौक, एम0सी0बी0, स्विच इत्यादि) को बदलने हेतु नये उपकरणों की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।
10. कार्यालय एवं भवन परिसर की विद्युत मरम्मत/जनरेटर तथा सर्वो की वायरिंग का रख-रखाव इत्यादि के लिये फर्म/ठेकेदार द्वारा आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराया जायेगा जो कम से कम आई0टी0आई0 (इलैक्ट्रिकल) होना अनिवार्य है, जो प्रातः 9:00 बजे से अपरान्ह 6:00 बजे तक कार्यालय में ही उपस्थित रहेगा।
11. फर्म/ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
12. फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया कर्मी नीली वर्दी (पैंट/कमीज) में रहेगा, जो कि ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।
13. जनरेटर/सर्वो में विद्युत आपूर्ति के मापदण्ड, विद्युत वायरिंग, ऑयल आदि का कार्य फर्म द्वारा तैनात कर्मी द्वारा किया जायेगा।
14. फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि उनके द्वारा जो कार्मिक तैनात किया जायेगा उन्हें समय से भुगतान किया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा। समय से भुगतान न किये जाने की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी/जबाबदेही नहीं होगी।
15. फर्म/ठेकेदार/श्रमिकों के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है तो उसका दायित्व विभाग/उत्तराखण्ड शासन का नहीं होगा। सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार इस हेतु प्रत्येक दशा में उत्तरदायी होंगे।
16. विद्युत कर्मी के अनुपस्थित रहने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा दूसरा विद्युत कर्मी उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा मरम्मत के कार्य का स्तर अच्छा न होने पर उस दिन के समतुल्य

के बराबर भुगतान की राशि एवं ₹ 200.00 प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड के रूप में फर्म/ठेकेदार के बिल से कटौति कर ली जायेगी।

17. फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व कार्यालय परिसर, जनरेटर व सर्वो आदि की वायरिंग का भली-भांति निरीक्षण कर लिया जाय।
18. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें। इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. ठेकेदार को स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रातः 10:00 बजे कार्य के निरीक्षण के लिये उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निरीक्षण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।
20. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
21. सफल निविदादाता/फर्म को ₹ 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तों की सहमति का अनुबन्ध पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देय स्टाम्प ड्यूटी फर्म द्वारा वहन की जायेगी।
22. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर ₹ 19,250.00 (₹ उन्नीस हजार दो सौ पचास मात्र) सुरक्षा धनराशि के रूप में बैंक सावधि जमा/बैंक गारन्टी जो निदेशक, कोशागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बंधक होगी, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. अगर न्यायालय में कोई वाद दायर होता है, तो वह देहरादून स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
